रजि.ए.डी.

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग कोटा –वृत, कोटा

"खनिज भवन" प्लाट नं.3, टैगोर नगर, रावतभाटा रोड, कोटा, दूरभाष 2472020

क्रमांक : अखअ/कोटा–वृत/सीसी–II/प–41(2017)/ 3_4 दिनांक : 23.01.201

श्री मनोज कुमार शर्मा,
पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा,
निवासी गांधी चौराहा, सांगोद जिला कोटा(राज0)

विषयः– राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियमों के अनुसार ग्राम पीतामपुरा तह0 कनवास जिला कोटा की खातेदारी भूमि खसरा नं. 125/597, 125/592 व 125/593 में क्षेत्र 1.0 हैक्टेयेर का डेलिनियेटड प्लाट नं. 2 के खननपट्टा आवंटन हेतु मंशापत्र जारी करने बाबत्।

प्रसंगः– खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी का पत्र कमांकः खअ/राम/सीसी/प्लाट–2/2018/87 दि0 22.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिमक पत्र के कम में लेख है कि निदेशालय, उदयपुर के निर्देशानुसार अप्रधान खनिज के खननपट्टे डेलिनियेटेड किये जाकर ई–आक्शन(नीलामी) के तहत दिये जाने के कम में निकट ग्राम पीतामपुरा तह0 कनवास जिला कोटा की खातेदारी भूमि के खातेदार श्री मनोज कुमार शर्मा की खातेदारी भूमि खसरा नं0 125/597 रकबा 0.41 है0 किस्म बारानी में से में 0.1924 है0 भूमि एंव खसरा नं0 125/592 रकबा 0.81 है0 में से 0.7948 है0 किस्म बारानी भूमि पर तथा खातेदार श्री कृष्णकान्त शर्मा की खातेदारी भूमि खसरा नं0 125/593 रकबा 0.81 है0 में से 0.128 है0 भूमि पर खनिज मैसेनरी स्टोन क खनन पट्टा प्लाट नं. 2 ई–आक्शन के माध्यम से दिय जाने हेतु नीलामी के द्वितीय चरण में दिनांक 22.12.2017 उच्चतम प्रारम्भिक बीड 21 प्रतिशत के मुकाबले अंतिम बीड 22 प्रतिशत पर श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी गांधी चौराहा सांगोद जिला कोटा को उच्चतम बोलीदाता माना गया।

चूंकि उक्त प्लाट नं. 2 की खातेदारी भूमि की समस्त खातेदारी अधिकार श्री मनोज कुमार शर्मा के पास होने से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम–14(8)(ii)(h) के अनुसार उच्चतम बीड राशि होने से स्वत सफलतम बोलीदाता माना गया है। जिसपर नियम–14(10) के अनुसार प्रथम किस्त राशि रू0 7500/– चालान नं. GRN No. 0020420281 दिनांक 01.01.2018 से जमा कराई गई तथा नीलामी राशि रू. 7500/– व मिनिमम बीड राशि रू. 30000/– कुल 37500/–RTGS No. SBIN217327533888 दिनांक 23.11.2017 को पूर्व में जमा करवा दी गई है। खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी द्वारा प्रासंगिक पत्र दिनांक 10.01.2018 से आपको उक्त खननपट्टा सशर्त दिये जाने का मंशापत्र जारी करने हेतु इस कार्यालय को प्रस्तावित किया है।

खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी के प्रस्तावानुसार निकट ग्राम पीतामपुरा तह0 कनवास जिला कोटा की खातेदारी भूमि में खनिज मैसेनरी स्टोन का डेलिनियेटेड प्लाट संख्या 2 क्षेत्र 1.0 हैक्टेयर का खननपट्टा आपके पक्ष में स्वीकृत किये जाने की इस कार्यालय की मंशा है। अतः राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम–18(2) के अनुसार निम्न पूर्तियॉ करें ताकि खननपट्टा स्वीकृति के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके :–

1. न्यूनतम वार्षिक गारन्टेड प्रिमियम की राशि की 25 प्रतिशत राशि द्वितीय किस्त मंशापत्र जारी होने की तिथि के 30 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी।
2. राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम–20 के अनुसार परफोरमेन्स सिक्यूरिटी तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान मंशापत्र जारी होने की तिथि से 6 माह के अन्दर जमा कराना होगा।
3. मंशापत्र जारी होने की तिथि से 18 माह की अवधि में नियमानुसार सभी सहमतियां, अनुमोदन एंव पर्यावरण अनुमति (Envierment Clearance) प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

नोट :– राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 एंव राज्य/केन्द्र सरकार/न्यायालयों द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/अधिसूचना/आदेशो की पालना सुनिश्चित करेगा तथा अण्डर टेकिंग एंव उपरोक्त पूर्तियां नियत समय पर पूर्ण करने में असमर्थ रहा तो मंशा पत्र स्वतः ही नल एण्ड वाईड माना जायेगा।

भवदीय,

23/01/2018

(पी.एल.मीना)
अधीक्षण खनि अभियन्ता,
कोटा–वृत–कोटा

क्रमांकः–समसंख्यक/2018/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, खान एंव भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को इस कार्यालय के पत्रांक 3821 दिनांक 10.10.2017 के कम में।
2. खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी रामगंजमण्डी को प्रांसगिक प्रस्ताव के कम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षण खनि अभियन्ता,
कोटा–वृत–कोटा